न्यायालय सहायक कलक्टर (F.T.) किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	9-8-19 तहसीलदार किशनगढ़ बास [illegible] ने पेश किया। दर्ज रजि० हो। [illegible] उज्र/जवाब पेश किया। वास्ते सुनवाई दिनांक 23-8-19 को पेश हो। NR
	26-8-19 अवकाश होने से आज पेश हुई। वास्ते गौर दि० 6-9-19 को पेश हो। NR
	6-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 13-9-19 को पेश हो। रीडर
	13-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर हैं अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 27-9-19 को पेश हो। रीडर
	27-9-19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से अंकित किया गया। पत्रावली को [illegible] अमल लेकर दाखिल रिकार्ड हो। NR

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]

आधारित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद [आर.ए.एस.]

प्रा. पत्र संख्या	पूर्वेश तिथि	निर्णय तिथि
60	26-8-19 उनवान	27-9-19

1- तहसीलदार [फिड होल्डर] किशनगढ़-बास जिला अलवर :-प्रार्थी

बनाम

1- स्व. उमरखां, फजरू पुत्रान खिल्लू मेव ता. कुटियापुर
तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-अप्रार्थीगण

प्रा. पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं :- तहसीलदार किशनगढ़-बास द्वारा प्रा. पत्र पेश किया गया कि भू.अ.नि. व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुटियापुर की मूल मोमिया सीट में ख. नं. 432 मूल में से तरमीम कर दो बटा नम्बर 432/470 व 432/471 दर्ज है परन्तु पटवारी हल्के पास उपलब्ध मोमिया सीट में ख. नं. 470 की तरमीम नहीं है। अत: मूल शीट की नकल के अनुसार पटवारी के नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिया जाना उचित है। अत: प्रा. पत्र स्वीकार फरमावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जबाब पेश किया कि राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जाँच रिपोर्ट आधार पर नक्शा लट्ठा में ख. नं. 432/470 किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश है कि :-

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुटियापुर तहसील किशनगढ़-बास के नक्शा लट्ठा में ख. नं. 432/470 शुद्धी कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास [अलवर]

Scanned by CamScanner